सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 53/18 **निर्णय दिनांकः 31—07—2019**

1. चन्दन सिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी भलुरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री पदमसिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 22—03—1998 जिसके द्वारा अपीलांट् को भूमिहीन आवंटन हेतु अपात्र माना गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय अपीलांट को कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी तथा कहा गया था

कि जब भी आवंटन की कार्यवाही की जायेगी आपको सूचित कर दिया जायेगा। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्य वांछित सबूत प्रस्तुत करने बाबत् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई नोटिस जारी किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु अपात्र धोषित किया गया। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि के आवंटन का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 के विरूद्व अपील दिनांक 15—12—2017 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी दिनांक 01—04—1955 से पूर्व का राजस्थान का सद्भावी निवासी नहीं होने व पाक विस्थापित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—11—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 15—12—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती की वह न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सूचना दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में आवेदक के आवेदन पत्र को 01—04—1955 से पूर्व का राजस्थान का सद्भावी मूल निवासी नहीं होने, सद्भावी काश्तकार न होने तथा आबाद नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जबकि तहसीलदार कोलायम द्वारा जारी प्रमाण पत्र में इन तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। दिनांक 01—04—1955 के स्थान पर पाकविस्थापित लिख दिया गया। पाक विस्थापित भी उक्त तिथि से पूर्व क्षेत्र में आकर स्थाई तौर पर निवास करने लगे थे। आवंटन अधिकारी को आवेदन खारिज करने से पूर्व नोटिस जारी कर वांछित दस्तावेज पेश करने का अवसर देना चाहिए था परन्तु एकतरफा तौर पर आवेदन खारिज कर दिया गया तथा इस बाबत् प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर एवं पत्रावली में मौजूद सबूतों के विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/आवेदक की 1988 से पूर्व की पात्रता कायम रखते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर